

पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920

(1920 का अधिनियम संख्यांक 34)¹



[9 सितम्बर, 1920]

२[भारत] में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों से पासपोर्टों की अपेक्षा करने के लिए शक्ति ग्रहण करने के लिए अधिनियम

यतः २[भारत] में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों से पासपोर्टों की अपेक्षा करने के लिए शक्ति ग्रहण करना समीचीन है; अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ३[पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920] है।

(2) इसका विस्तार ४*** ५[सम्पूर्ण भारत पर] होगा।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो—

“प्रवेश” से जल, भूमि या वायु मार्ग द्वारा प्रवेश अभिप्रेत है;

“पासपोर्ट” से तत्समय प्रवृत्त ऐसा पासपोर्ट अभिप्रेत है जो विहित प्राधिकारी द्वारा दिया गया या नवीकृत किया गया है और उस वर्ग के पासपोर्टों से सम्बन्धित विहित शर्तों की पूर्ति करता है जिसके अन्तर्गत वह आता है; और

“विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

3. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार यह अपेक्षा करने वाले कि ६[भारत] में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के पास पासपोर्ट होंगे और उस प्रयोजन की आनुषंगिक या प्रासंगिक सभी बातों के लिए नियम⁷ बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम—

(क) ६[भारत] में या उसके किसी भाग में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश प्रतिषिद्ध कर सकेंगे जिसके पास उसे दिया गया पासपोर्ट नहीं है;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्राधिकारियों को, जिनके द्वारा पासपोर्ट दिए गए या नवीकृत किए गए होने चाहिए और वे शर्तों जिनकी उन्हें पूर्ति करनी चाहिए, विहित कर सकेंगे; और

(ग) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ऐसे नियमों के किसी उपबन्ध से या तो पूर्ण रूप से या किसी शर्त पर छूट के लिए उपबन्ध कर सकेंगे।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए नियम यह उपबन्ध कर सकेंगे कि उनका या ऐसे किसी नियम के प्राधिकाराधीन जारी किए गए किसी आदेश का कोई उल्लंघन ८[कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।]

(4) इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और तब इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित किए गए हों।

९[(5) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों

¹ इस अधिनियम का विस्तार, 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा उपांतरणों सहित गोवा, दमण और दीव पर; 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा दादरा और नागर हवेली पर; 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा लक्षद्वीप पर; और अधिसूचना सं० का०आ० 3392, तारीख 3-9-1976 द्वारा (20-9-1976 से) सिक्किम पर किया गया।

² 1949 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा “भारत के प्रान्तों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1967 के अधिनियम सं० 15 की धारा 25 द्वारा “भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1920” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित “हैदराबाद राज्य को छोड़कर” शब्दों का 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा लोप किया गया।

⁵ 1949 के अधिनियम सं० 36 की धारा 3 द्वारा “भारत के सारे प्रान्तों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ 1949 के अधिनियम सं० 36 की धारा 4 द्वारा “प्रान्तों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁷ पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के लिए देखिए भारत का राजपत्र, 1950, भाग 2, खण्ड 3, पृष्ठ 91।

⁸ 2000 के अधिनियम सं० 47 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁹ 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) अंतःस्थापित।

सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।



¹[3क. पश्चात्कर्ती अपराधों के लिए दंड—जो कोई, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराए जाने पर, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पुनःसिद्धदोष ठहराया जाएगा वह पश्चात्कथित अपराध के लिए उपबंधित शास्ति की दुगुनी शास्ति से दंडनीय होगा।]

4. गिरफ्तार करने की शक्ति—(1) पुलिस का कोई अधिकारी, जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो और सीमाशुल्क विभाग का कोई अधिकारी जो ²[केन्द्रीय सरकार] द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया हो किसी व्यक्ति को जिसने धारा 3 के अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश का उल्लंघन किया है या जिसके खिलाफ इस बात का युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान है कि उसने उसका उल्लंघन किया है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार करने वाले प्रत्येक अधिकारी, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना, मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा और ³[दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)⁴ की धारा 57] के उपबन्ध, ऐसी किसी गिरफ्तारी के मामले में यावत्सक्य लागू होंगे।

5. हटाने की शक्ति—²[केन्द्रीय सरकार,] साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को ⁵[भारत] से हटाए जाने का निदेश दे सकेगी जिसने पासपोर्ट के बिना ⁵[भारत] में प्रवेश प्रतिषिद्ध करने वाले किसी नियम के उल्लंघन में जो धारा 3 के अधीन बनाया गया हो यहां प्रवेश किया हो और तब सरकार के किसी अधिकारी को ऐसे निदेश को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक सब युक्तियुक्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

⁶6. [भाग ख राज्यों को अधिनियम का लागू होना।]—भाग ख राज्य (विधि) अधिनियम, 1951 (1951 का 3) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा निरसित।

¹ 2000 के अधिनियम सं० 47 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 2000 के अधिनियम सं० 47 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴ अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 57 देखिए।

⁵ 1949 के अधिनियम सं० 36 की धारा 4 द्वारा “प्रान्तों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ 1949 के अधिनियम सं० 36 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।